संख्या : 4497/जी0एस0(शिक्षा)/A11-130/2015

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड   देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2026

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण क्रमांक 231223111232, दिनांक 11.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **दून पी0जी0 कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एण्ड एलाईड साइंसेज रामपुर, सेलाकुई, देहरादून को बी0एससी0(आनर्स)–एग्रीकल्चर, एम0एससी0–एग्री(एग्रोनॉमी), बी0एससी0(फिशरीज साइंस), एम0एससी0(फिशरीज) एवं एम0एससी0(हॉर्टिकल्चर) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021–22 से 2024–25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट	अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि।
1	2	3	4	5
01	दून पी0जी0 कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एण्ड एलाईड साइंसेज रामपुर, सेलाकुई, देहरादून।	बी0एससी0(आनर्स)–एग्रीकल्चर	160 सीट	2021–22 से 2024–25 (2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)
		एम0एससी0–एग्री(एग्रोनॉमी)	30 सीट	
		बी0एससी0 (फिशरीज साइंस)	60 सीट	
		एम0एससी0 (फिशरीज)	15 सीट	
		एम0एससी0 (हॉर्टिकल्चर)	30 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

File No. RB-EDUC02/14/2026-RAJBHAWAN (Computer No. 1901)

- विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए संस्थान से प्राभूति राशि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 के लिए इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सत्र 2025–26 के प्रस्ताव पर प्राभूति अपूर्ण होने की दशा में विचार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 23-03-2026
16:01:12

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या 4497/जी0एस0(शिक्षा)/A11-130/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अनूप सिंह नेगी)
कुलाधिपति के अनुसचिव।

Digitally signed by
Anup Singh Negi
Date: 23-03-2026
16:12:48